

प्रेषक,

जय सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी,
किशनगंज
बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/
अररिया/पूर्णियाँ/सीतामढ़ी/सुपौल/मधेपुरा/
प० चम्पारण/जमुई/मुंगेर/नालंदा/शिवहर/बांका।
अपर समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त
सहरसा एवं कटिहार।

पटना, दिनांक :- 16/11/22

विषय :- विशेष सर्वेक्षण शिविरों में कार्यरत विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा किए जा रहे कार्य एवं कार्यरत विशेष सर्वेक्षण कर्मियों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा रैयतों द्वारा विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के स्तर से विभिन्न कार्यों हेतु पैसा मांगे जाने संबंधी शिकायतों का अनुश्रवण करने एवं संबंधित के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि राज्य में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य अन्तर्गत गठित विशेष सर्वेक्षण शिविरों में कार्यरत विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा नए अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा विभिन्न प्रक्रमों में कार्य के अनुसार रैयतों से शिविरों एवं ग्राम स्तर पर संपर्क कर उनसे स्वामित्व सम्बन्धी कागजात आदि प्राप्त किए जाते हैं और बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार निर्धारित किए गए विभिन्न कार्यों का निष्पादन किया जाता है। इस क्रम में रैयतों द्वारा विशेष सर्वेक्षण कर्मियों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उनके द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए पैसा मांगे जाने के संबंध में मुख्यमंत्री जनता दरबार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय स्तर पर विभिन्न शिकायत पत्रों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं एवं इन पत्रों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु आप को भी रैयतों के आवेदन उपलब्ध कराये गये हैं। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक के क्रम में विशेष सर्वेक्षण कार्यों की अपेक्षित प्रगति नहीं होने के क्रम में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के संबंध प्राप्त हो रही शिकायतों एवं कर्मियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में आपके साथ विमर्श कर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश भी दिया गया, परन्तु विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के आचरण में सुधार नहीं होने के कारण पिछले दिनों निगरानी विभाग, बिहार सरकार द्वारा शेखपुरा एवं पूर्णियाँ में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

उक्त के आलोक में आवश्यक है कि आपके व्यक्तिगत स्तर से विशेष सर्वेक्षण शिविरों का सतत अनुश्रवण करते हुए विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के संबंध में रैयतों से प्राप्त हो रही शिकायतों की समीक्षा की जाए एवं विशेष सर्वेक्षण कर्मियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में सम्बन्धित के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए एवं कृत कार्रवाई से निदेशालय को अवगत कराया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वसभाजन

(जय सिंह)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0-02/2022 - 4097 पटना, दिनांक 16/11/22
प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध, पूर्णियाँ, कोशी, भागलपुर को सूचनार्थ
समर्पित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0-02/2022 - 4097 पटना, दिनांक 16/11/22
प्रतिलिपि:- समाहर्ता, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, जमुई, मुंगेर, नालंदा, शिवहर, बांका, अरवल एवं शेखपुरा को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0-02/2022 - 4097 पटना, दिनांक 16/11/22
प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय,
जहानाबाद, अररिया, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, पश्चिम चम्पारण, जमुई, मुंगेर, नालंदा, शिवहर, बांका
एवं किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0-02/2022 - 4097 पटना, दिनांक 16/11/22
प्रतिलिपि:- सहायक निदेशक/सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख
एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0-02/2022 - 4097 पटना, दिनांक 16/11/22
प्रतिलिपि:- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को
सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0-02/2022 - 4097 पटना, दिनांक 16/11/22
प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ
प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण